प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील सं 284/2024

आदेश सुरक्षित किया गया :05.12.2024

आदेश पारित किया गया :12.03.2025

मोह. इफ्तेखार रजा पिता श्री हाजी मोहम्मद अयूब , 44 वर्ष ,निवासी चमेली चौक, धमतरी, तहसील तथा जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।(परिवादी)

---अपीलकर्त्ता

बनाम

रत्नेश जैन पिता स्वर्गीय बसंतल जैन, 60 वर्ष , निवासी रत्नबंध रोड, डाक बंगला वार्ड, धमतरी, जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :––श्री अख्तर हुसैन, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :––श्री हेमंत कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता

माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास , न्यायाधीश

(सी. ए. वी. निर्णय)

1. अपीलार्थी ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला–धमतरी (छ.ग.) द्वारा परिवाद प्रकरण क्रमांक 98/2021 में पारित दिनांक 18.03.2024 (अनुलग्नक ए/1) के आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(4) के तहत वर्तमान दोषमुक्त अपील दायर की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दायर परिवाद प्रकरण को खारिज कर दिया है और उत्तरवादी /अभियुक्त को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि परिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक परिवाद दर्ज की, जो शिकायत मामला संख्या 98/2021 के रूप में पंजीकृत है, जिसमें मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि:

क. परिवादी और आरोपी के बीच पटवारी हल्का नंबर – 31, ग्राम – सोरिदभाट, जिला धतमरी (छ.ग.) में स्थित खसरा नंबर 1284/3 क्षेत्रफल 0.405 की भूमि की विक्रय के लिए एक करार निष्पादित किया गया था।दायित्व निर्वहन के लिए अभियुक्त ने बैंक का चेक क्रमांक 000017 दिनांक 30.06.2020 दिया है, जिसकी राशि 30,00,000/– (तीस लाख) रुपए है, जिसमें अभियुक्त का खाता है अर्थात बंधन बैंक, शाखा धमतरी (छ.ग.)। परिवादी ने उक्त चेक को बंधन बैंक, शाखा धमतरी के समक्ष अपने खाता क्रमांक 50170006170859 में दिनांक 25.09.2020 को प्रस्तुत किया, लेकिन चेक को "अपर्याप्त निधि के कारण" लिखकर अनादरित कर दिया गया। परिवादी को बैंक से चेक उसके अग्रेषण ज्ञापन के साथ प्राप्त हुआ था, उसके बाद, परिवादी ने उत्तरवादी को 07.10.2020 को एक विधिक नोटिस भेजा था और इसे उत्तरवादी/अभियुक्त ने 08.10.2020 को प्राप्त किया था, लेकिन अभियुक्त परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत निर्धारित समय अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहा, उसके बाद शिकायतकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत परिवाद दर्ज की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ख. परिवादी ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए दस्तावेजों का प्रदर्शन किया है:चेक (प्रदर्शनी पी/1), बैंक जमा प्रपत्र (प्रदर्शनी पी/2), वापसी ज्ञापन (प्रदर्शनी पी/3), पंजीकृत सूचना (प्रदर्शनी पी/4), डाक रसीद (प्रदर्शनी पी/5) तथा बंद लिफाफा (प्रदर्शनी पी/6)।परिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 145 के तहत आवश्यक शपथपत्र के माध्यम से स्वयं की जांच की और परिवाद में उठाए गए तर्क को दोहराया। साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने भूमि से संबंधित लेन–देन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उसने यह भी कहा है कि उसने अभियुक्त को एक नोटिस भेजा है और डाकघर के लोगों ने उसे नोटिस की सेवा की स्थिति के संबंध में सूचित किया है और स्वेच्छा से कहा है कि अभियुक्त ने उसे नोटिस के बारे में सूचित किया है। साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त को कोई भुगतान नहीं किया गया है और इस बात से भी इनकार किया है कि उसने झूठी परिवाद दर्ज कराई है।

3. अभियुक्त ने किसी साक्षी से पूछताछ नहीं की है, लेकिन दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 313 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने झूठे आरोप लगाने की तर्क दिया और कहा कि उसने परिवादी को कभी कोई चेक नहीं दिया। उसने यह भी कहा कि उसे कोई विधिक नोटिस नहीं मिला है। विद्वान ने 18.03.2014 को दिए गए आक्षेपित निर्णय में परिवाद को खारिज कर दिया और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। दोषमुक्त करने के इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह दोषमुक्त करने की अपील दायर की है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त करने में अवैधानिकता की है कि परिवादी यह साबित करने में असमर्थ है कि चेक किसी

कर्ज या देनदारी के लिए दिया गया था।वास्तव में, परिवादी ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि चेक भूमि के लेन–देन के लिए दिया गया था, ऐसे में एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 139 के तहत परिवादी के पक्ष में अनुमान लगाया जाना चाहिए था।उन्होंने आगे कहा कि एक बार परिवादी ने यह साबित कर दिया है कि चेक ऋण या देयता के लिए दिया गया था, तो अभियुक्त पर यह दायित्व है कि वह संभाव्यता के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करके उसका खंडन करे, जिसमें वह पूरी तरह विफल रहा, क्योंकि अभियुक्त द्वारा इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान केवल अभियुक्त के खिलाफ परिस्थितियों को स्पष्ट करता है, जिसे दायित्व निर्वहन या अनुमान का खंडन नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, वह अपील की अनुमति देने के लिए प्रार्थना करते है।अपील में पहली बार अपीलकर्ता ने परिवादी और अभियुक्त के बीच निष्पादित करार की प्रति (अनुलग्नक ए/4) दिनांक 20.05.2020 और परिवादी द्वारा बनाए गए खाते का विवरण दाखिल किया है जिसमें रत्नेश जैन द्वारा 25,00,000/– रुपये की निकासी दिखाई गई है ताकि यह साबित हो सके कि चेक कर्ज या देनदारी के लिए दिया गया था। 5. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि परिवादी ने यह साबित नहीं किया है कि चेक किसी देनदारी के लिए दिया गया था जो कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए सर्वोपरि विचार है, इसलिए विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया है जिसे विकृति या अवैधता से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है जो हस्तक्षेप का वारंट करता है।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने कमी को भरने के लिए कथित करार की प्रति के साथ–साथ खाते का विवरण भी दाखिल किया है जो कि सुस्थापित विधिक स्थिति के तहत स्वीकार्य नहीं हैअपने तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **एच.एन. जगदीश बनाम आर राजेश्वरी के मामले में 2019 (16) एससीसी 730** में दिए गए निर्णय का उल्लेख दिया है। उन्होंने आगे कहा कि परिवादी ने यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं रखी है कि चेक देयता के लिए दिया गया था, इस तरह विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विधिक और न्यायोचित है, जो हस्तक्षेप का वारंट नहीं करता है और अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है । इस तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने **बी कृष्णा रेड्डी बनाम सैयद हफीज (मृत्यु) प्रति कानूनी प्रतिनिधि नसीमा बेगम और अन्य के मामले में 2020 (17) एससीसी 488, बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा के मामले में 2019 (5) एससीसी 418, जॉन के अब्राहम बनाम साइमन सी. अब्राहम और अन्य के मामले में 2014 (2) एससीसी 236, के. सुब्रमणि बनाम के दामोदर नायडू के मामले में 2015 (1) एससीसी 99 और दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा के मामले में 2024 (8) एससीसी 573 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख दिया है।**

6. अब इस न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या 20.05.2020 के समझौते और बैंक खाते के विवरण को इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है कि चेक किसी ऋण या देयता के लिए दिया गया था या नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इन दस्तावेजों पर विचार करने के लिए कड़ी आपत्ति जताई और प्रस्तुत किया कि इन दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जगदीश (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में अतिरिक्त साक्ष्य द्वारा कमी को भरने के बराबर होगा।इस निवेदन को खारिज किए जाने लायक है क्योंकि जगदीश (सुप्रा) के मामले के तथ्य इस आधार पर अलग–अलग हैं कि उस मामले में एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत नोटिस अभिलेख पर नहीं रखा गया था, जो एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद दर्ज करने के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है, इसलिए परिवादी के लिए इसे साबित करना आवश्यक था, ऐसे में उक्त नोटिस को अभिलेख पर लेने की अनुमति दी गई तो यह माना गया कि यह कमी को पूरा करना है और तदनुसार, इसकी अनुमति नहीं दी गई, जबकि वर्तमान मामले में हालांकि करार को अभिलेख पर नहीं रखा गया था, लेकिन जमीन के लेन–देन और धन के हस्तांतरण के संबंध में मौखिक साक्ष्य पहले से ही विचारण न्यायालय के अभिलेख पर हैं, ऐसे में एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मौखिक साक्ष्य और नोटिस या चेक के अनादर के संबंध में अन्य दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध थे।अभियुक्त के दायित्व के संबंध में कुछ मौखिक साक्ष्य थे, लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य ट्रायल कोर्ट के पास उपलब्ध नहीं थे, ऐसे में, यदि इस दस्तावेज को अभिलेख में लिया जाता है, तो यह स्पष्ट कमी को पूरा करने के बराबर नहीं होगा, यह केवल अनियमितता हो सकती है जिसे ठीक किया जा सकता है। वैसे भी, इस अपील में उत्तरवादी ने दिनांक 04.12.2024 की परिवाद की प्रति भी अभिलेख पर रखी है जिसमें उन्होंने करार की तैयारी में कथित धोखाधड़ी के बारे में उल्लेख किया है, इस प्रकार, एक करार के अस्तित्व के संबंध में विवाद है जिसे अब न्यायालय द्वारा पता लगाया जाना आवश्यक है।इसी प्रकार,परिवादी के खाते का विवरण अभिलेख पर रखा गया है, जिसमें रत्नेश जैन अभियुक्त के नाम पर 25 लाख रुपये की निकासी दिखाई गई है, लेकिन उक्त दस्तावेज ट्रायल कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया है, जबकि शिकायतकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंक खाते का विवरण उसके पास उपलब्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जाहिरा हबीबुल्लाह एच. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में 2004 (4) एससीसी 158** में रिपोर्ट की गई है। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 391 के प्रावधानों पर विचार किया है जो अपीलीय न्यायालय को आगे साक्ष्य लेने की अनुमति देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 21 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"21. संहिता की धारा 391 का उद्देश्य सत्य तक पहुंचकर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना है और इस मामले में किसी भी कमी को पूरा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।हालांकि यह प्रावधान विवेकाधीन है, लेकिन इसमें कारण दर्ज करने की आवश्यकता के बारे में शर्त लगाई गई है।इन सभी पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है और इसलिए यह निर्णय बचाव योग्य नहीं है।यह प्रस्तुत किया गया कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के परिणामस्वरूप पुनः परीक्षण के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए।हालांकि, अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकृति से उत्पन्न होने वाला एकमात्र परिणाम पुनः परीक्षण नहीं है, मामले की विशिष्ट

परिस्थितियों को देखते हुए, उचित तरीका यह होगा कि अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकृति का निर्देश दिया जाए और परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर पुनः परीक्षण का आदेश भी दिया जाए।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अजीतसिंह चेहुजी राठौड़ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में, जो 2024 में आईएनएससी 63 में रिपोर्ट किया गया था,**कंडिका 9 में निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया है:

"9. सबसे पहले, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला से कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसा अनुरोध करने वाले पक्ष को उचित तत्परता बरतने के बावजूद परीक्षण में साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया हो या ऐसी प्रार्थना को जन्म देने वाले तथ्य अपील के लंबित रहने के दौरान बाद के चरण में प्रकाश में आए और ऐसे साक्ष्य को दर्ज न करने से न्याय में विफलता हो सकती है।"

10. उपर्युक्त विधिक स्थिति से और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भूमि से संबंधित लेन–देन के संबंध में मौखिक साक्ष्य पहले ही रिकॉर्ड पर रखे जा चुके हैं और अपील में प्रतिवादी ने कथित करार के निष्पादन में कथित धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस स्टेशन में दिनांक 04.12.2024 को शिकायत की एक प्रति भी दर्ज की है।परिवादी ने बैंक खाते की प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें उत्तरवादी अभियुक्त का नाम अंकित है, ऐसे में ये दस्तावेज मामले के न्यायोचित एवं उचित निर्णय के लिए आवश्यक हैं तथा ऐसे अतिरिक्त साक्ष्यों पर विचार न करने से न्याय में विफलता होती है, इसलिए मेरा विचार है कि दस्तावेज समझौता दिनांक 20.05.2020 तथा उत्तरवादी द्वारा दिनांक 04.12.2024 को दायर परिवाद तथा बैंक खाते का विवरण विचारण न्यायालय के अभिलेख पर लिया जाता है तथा मामले को विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि करार, उत्तरवादी द्वारा की गई परिवाद, बैंक खाता तथा विधि के अनुसार अभिलेख पर पहले से उपलब्ध अन्य सभी दस्तावेजों पर विचार करके मामले को नए सिरे से निर्धारित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है तथा तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि विचारण न्यायालय सभी पक्षों को उनके साक्ष्यों की जांच करने तथा अपना मामला साबित करने के लिए सुनवाई का अवसर देने के पश्चात कानून के अनुसार दस्तावेज को नए सिरे से अभिलेख पर लेने के पश्चात मामले का निर्णय करेगा।

12. आदेश की एक प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को भेजी जाए ताकि विधि के अनुसार निर्णय लिया जा सके। चूंकि पक्षकार पहले ही इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।दोनों पक्षों को 28 अप्रैल, 2025 को विचारण न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

13. उपरोक्त अवलोकन तथा निर्देश के साथ, वर्तमान दोषमुक्ति की अपील को स्वीकृति दि जाती है।

सही/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur